**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 925**

**दिनांक 11 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**पोस्टमार्टम सुविधाओं में इष्टतम अवसंरचना को सुनिश्चित करना**

**925 डा. अजित माधवराव गोपछड़े:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार ने आज की तारीख तक मानव अवशेषों की ऑटोप्सी रिपोर्ट से संबंधित हेरफेर के मुद्दों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कौन से कदम उठाए हैं;

(ख) केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर मुर्दाघर कर्मियों को उचित सुरक्षात्मक उपकरणों के बिना पोस्टमार्टम करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, जो उन्हें तपेदिक और एचआईवी जैसी गंभीर संक्रमणों के जोखिम में डालते हैं; और

(ग) पोस्टमार्टम सुविधाओं में इष्टतम अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की गई हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क): पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग के लिए मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिस्टम (मेडलीएपीआर) सॉफ्टवेयर को एकीकृत किया है। उन्नत सॉफ्टवेयर को कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के साथ साझा किया गया है। एनआईसी ने सभी संबंधित कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता और उपयोग का प्रदर्शन भी किया है।

(ख) और (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने समय-समय पर मुर्दाघरों में संक्रामक रोगों से व्याप्त मृत पीड़ित शवों के रख-रखाव तथा ऑटोप्सी प्रक्रियाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकारी संस्थानों में मुर्दाघर के कर्मचारियों को दस्ताने, मास्क, चश्मे तथा सुरक्षात्मक गाउन जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, पोस्टमार्टम सुविधा केन्द्रों में इष्टतम अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर नए उपकरण खरीदे जाते हैं। नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत डीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार मुर्दाघर तथा पोस्टमार्टम के लिए न्यूनतम मानक तकनीकी रूप से स्वीकृत हैं तथा राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद (एनसीसीई) के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। स्वीकृत होने के पश्चात, इसे राजपत्रित किया जाएगा तथा पूरे देश में व्यापक रूप से अपनाने के लिए आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा।

*****